

15/01/2026

आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित आए। प्रकरण में पारित प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में अंतिम डिक्री (Final Decree) की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण पर निम्न तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आए हैं:

मूल वाद पत्र में कुल 11 खसरा नंबरों का उल्लेख किया गया था। प्रारंभिक डिक्री में खसरा नंबर 225, 226, एवं 227 का विभाजन सह-काश्तकारों के मध्य, वाद पत्र एवं तत्कालीन जमाबंदी में अंकित हिस्से के अनुसार किये जाने का आदेश पारित किया गया था। वर्तमान संवत् 204-77 की जमाबंदी का गहन अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद में जिन व्यक्तियों को वादी द्वारा पक्षकार (प्रतिवादी) बनाया गया था, उनमें से कतिपय व्यक्तियों के नाम वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार/सह-काश्तकार अंकित नहीं हैं। इसके विपरीत, कुछ अन्य नवीन व्यक्तियों के नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज पाए गए हैं, जिन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी परिलक्षित होता है कि दावा दायर करते समय वादी का जमाबंदी खाता संख्या भिन्न था जिसमें कुल 11 खसरा नंबर सम्मिलित थे, जबकि वर्तमान जमाबंदी में विवादास्पद खसरा नंबरान 225, 226, एवं 227 का पृथक खाता निर्मित हो चुका है। उक्त खाते का विभाजन कब और किस आदेश के तहत हुआ, इस बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य या राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगणों के हिस्सों (Shares) में भी कालांतर में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान जमाबंदी और वाद पत्र में वर्णित तथ्यों में भारी विरोधाभास एवं तात्विक परिवर्तन (Material Change in Facts) उत्पन्न हो गए हैं।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों और वर्तमान राजस्व अभिलेखों (जमाबंदी) की स्थिति में पूर्णतया भिन्नता है। जिन पक्षकारों के विरुद्ध प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी, उनमें से कई अब हितबद्ध पक्षकार नहीं रहे हैं और नवीन हितबद्ध पक्षकार पत्रावली पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, पूर्व में पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, परिवर्तित परिस्थितियों में अंतिम डिक्री (Final Decree) तैयार किया जाना विधिक रूप से संभव एवं व्यावहारिक नहीं है। दावा तकनीकी एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण (Infructuous/Non-executable) हो गया है। वाद को इस सीमा तक अव्यवहार्य हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।

वादीगण सहित सभी संबंधित खातेदारों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह वर्तमान प्रचलित जमाबंदी एवं विद्यमान खातेदार वर्तमान स्थिति के आधार पर यदि वे चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत पुनः विभाजन का नया वाद पृथक रूप से दायर कर सकते हैं। जहां उनकी वर्तमान स्थिति एवं अधिकारों का विधि अनुसार विचार किया जाएगा पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)